राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1588/2012

भगवत सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, जयपुर डिवीजन (सिंचाई डिवीजन, जयपुर), स्टेशन रोड, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2012
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र वैश्य, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को पदोन्नति/उच्च वेतन श्रृंखला प्रदान की जावे, जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान की गई है। उसी तिथी से अपीलार्थी को भी उक्त लाभ प्रदान किया जावे। उनको यह भी निर्देश दिये जावें कि अपील संख्या 227/2000 एवं 941/2007 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2006 एवं 27.03.2012 (क्रमशः) के प्रकाश में अपीलार्थी को भी लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मेट के पद पर दिनांक 07.11.1977 को हुई थी और उसे अर्द्धस्थायी दिनांक 07.11.1989/31.12.1993 से किया गया। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रही हैं। जयपुर संभाग की वरिष्ठता सूची दिनांक 31.01.1987 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 130 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति के लिये कई बार अनुशंषा की गई एवं अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 227/2000 अनिल शर्मा बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.12.2006 एवं अपील संख्या 941/2007 महेन्द्र पारीक व अन्य बनाम

राज्य में पारित आदेश दिनांक 27.03.2012, जिसमें अधिकरण द्वारा अनेको कार्मिकों को उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया गया और आदेश दिनांक 09.09.2008 के द्वारा समस्त लाभ एवं उच्च वेतन श्रृंखला आदि का लाभ प्रदान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 22.05.1989 जिसमें 17 व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है, उसे भी पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। विभाग द्वारा स्टेप–अप–पे को भी नजरअंदाज कर दिया गया जबकि अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का भी हकदार था और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ एवं पदोन्नति से वंचित रखा जाना नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को पदोन्नति/उच्च वेतन श्रृंखला प्रदान की जावे, जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान की गई है। उसी तिथी से अपीलार्थी को भी उक्त लाभ प्रदान किया जावे। उनको यह भी निर्देश दिये जावें कि अपील संख्या 227/2000 एवं 941/2007 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2006 एवं 27.03.2012 (क्रमशः) के प्रकाश में अपीलार्थी को भी लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे कंफर्म किया गया। वरिष्ठता सूची यूनिट वाईज बनाई जाती है अथवा स्टेट वाईज ऐसे कोई भी तथ्य वरिष्ठता से संबंधित नहीं हैं। अपीलार्थी की वरिष्ठता का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। अपीलार्थी ने जिन कर्मचारियों को इस स्लेब में दर्ज किया है, उन्हें विभाग द्वारा पदोन्नति विभाग द्वारा गठित कमेटी के निर्णयानुसार दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी ने वरिष्ठता सूची प्रस्तुत की, जिसमें जो कार्मिक मेट के पद पर नियुक्त हुये और अपीलार्थी के बाद नियुक्त हुये फिर भी उनको दो पदोन्नतियां प्रदान कर दी गईं, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नति से

वंचित रखा गया। कनिष्ठ कार्मिक श्री दामोदर प्रसाद जो मेट के पद पर नियुक्त हुये और दिनांक 01.03.1989 को कार्यग्रहण किया, फिर भी उन्हें विभाग द्वारा मुंशी ग्रेड द्वितीय/मुंशी ग्रेड प्रथम एवं/अथवा सुपरवाईजर के पद पर वेतनमान 5500–9000 एवं 6500–10500 में वेतन निर्धारित किया गया। इसी प्रकार महेन्द्र पारीक कैलाश चंद शर्मा आदि जो कार्मिक अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं फिर भी उन्हें पदोन्नतियां प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मेट के पद पर दिनांक 07.11.1977 को हुई थी और उसे अर्द्धस्थायी दिनांक 07.11.1989/31.12.1993 से किया गया। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रही हैं। जयपुर संभाग की वरिष्ठता सूची दिनांक 31.01.1987 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 130 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति के लिये कई बार अनुशंषा की गई एवं अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। परंतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जहां तक अपीलार्थी को उच्च वेतन श्रृंखला अथवा जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मेट के पद पर दिनांक 07.11.1977 को हुई थी और उसे अर्द्धस्थायी दिनांक 07.11.1989/31.12.1993 से किया गया। आदेश दिनांक 22.05.1989 जिसमें 17 व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है, उसे भी पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी से कनिष्ठ महेन्द्र कुमार पारीक की मेट के पद पर नियुक्ति वर्ष दिनांक 21.11.1977 में की गई थी एवं श्री अशोक कुमार सिंह की मेट के पद पर नियुक्ति दिनांक 01.12.1979 को हुई थी। यह भी निर्विवादित है कि महेन्द्र कुमार पारीक को दिनांक 01.03.1980 से मुंशी ग्रेड द्वितीय एवं श्री अशोक कुमार सिंह को दिनांक 01.11.1980 से मुंशी ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार एवं प्रत्यर्थी विभाग दोनों ही इस तथ्य को स्वीकार कर रहे है कि

अपीलार्थी से कनिष्ठतम को पदोन्नत कर दिया गया है, जबकि अपीलार्थी का केस लेफ्ट ओवर है। राज्य सरकार के पद दिनांक 09.09.2008 (अनुलग्नक–5) के द्वारा श्री अनिल शर्मा बनाम सरकार में अधिकरण के निर्णयानुसार श्री अनिल शर्मा को सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नति प्रदान करने के लिए श्री महेन्द्र कुमार पारीक, मुंशी प्रथम के समान सभी लाभ दिये जाने के अन्तर्गत श्री अनिल शर्मा प्रथम नियुक्ति मुंशी प्रथम के पद पर मानते हुए उसे दिनांक 01.03.1978 से मुंशी–प्रथम के पद पर एवं दिनांक 01.03.1983 से सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नती प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी की मेट के पद पर नियुक्ति उससे पूर्व हुई थी। तत्पश्चात् भी अपीलार्थी को एक भी पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी से कनिष्ठतम को मुंशी एवं सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। हमारे मत में एक तरफ तो प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा अपील का विरोध करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठता सूची पठनीय नहीं है। जिसके कारण अपीलार्थी की वरिष्ठता कहां निर्धारित होगी स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 22.05.1989 (अनुलग्नक–3) से अपीलार्थी को दिनांक 01.03.1978 से स्टोर मुंशी ग्रेड द्वितीय एवं दिनांक 01.02.1980 से मुंशी ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधीक्षण अभियंता को लिखा गया है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी की अपील में प्रस्तुत किया गया जवाब एवं उसके पदोन्नति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सिफारिश किये जाने का पत्र दोनों ही परस्पर विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब उचित एवं सही माने जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी से कनिष्ठतम को पदोन्नतियां प्रदान कर दी गई है, जबकि अपीलार्थी का नाम पदोन्नति दिये जाने में रह गया है। अपीलार्थी से कनिष्ठ महेन्द्र कुमार पारीक को दिनांक 01.03.1980 से मुंशी ग्रेड द्वितीय एवं श्री अनिल शर्मा को दिनांक 01.03.1978 मुंशी ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है तथा अनिल शर्मा को दिनांक 05.02.1988 से सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। जैसा कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों से स्पष्ट होता है। हमारे मत में चूंकि अपीलार्थी से कनिष्ठ महेन्द्र कुमार पारीक को दिनांक 01.03.1978 से मुंशी एवं श्री अनिल शर्मा को स्टोर मुंशी एवं सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी भी उसी दिनांक से मुंशी एवं सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है, जिस

दिनांक से उससे कनिष्ठ महेन्द्र कुमार पारीक को मुंशी एवं अनिल शर्मा को सुपरवाईजर के पदों पर पदोन्नत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी ने अपने से जिन 15 कार्मिकों को कनिष्ठ बताते हुए पदोन्नति चाही गई है, उन्हें कनिष्ठ बताना पूर्णतया काल्पनिक एवं मनगढ़न तथ्य है। प्रत्यर्थी विभाग एवं राज्य सरकार स्वयं यह विभिन्न दस्तावेजों से स्वीकार कर रहे है कि अपीलार्थी को पदोन्नति दी जानी है। अपीलार्थी को उन कर्मचारियों को पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय ए.आई.आर./(2001) 9 एस.सी.सी. 398 (ब्रिजनाथ पाण्डे बाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) से पुष्टि होती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है, जिसे स्वीकार किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उस दिनांक से मुंशी एवं सुपरवाईजर पद पर पदोन्नति देने हेतु विचार, करें, जिस दिनांक से उससे कनिष्ठ महेन्द्र कुमार पारीक को मुंशी एवं अनिल शर्मा को सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नतियां प्रदान की गई है एवं अपीलार्थी यदि पदोन्नति योग्य पाया जावें तो उसे उस दिनांक से पदोन्नति सहित वे समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे जो उससे कनिष्ठ महेन्द्र कुमार पारीक एवं अनिल शर्मा को प्रदान किये गये। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त समस्त कार्यवाही आवश्यक रूप से 3 माह में पूरी करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य